तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान देवीराम ~~सरकार~~ बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 88, 188 RTA	नंबर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुकदमा नं० 90/18 निर्णय दि० 28.2.22	

28/2/22

पत्रावली निर्णय हेतु पेश। वाद के तथ्यों व उभय पक्ष की बहस पर गौर किया गया।

वादीगण ग्राम मालावास के खाता सं. 32 रकबा 6.83 है. के खातेदार हैं।

वादीगण Settlement द्वारा कारित रूप से की गयी नक्शाट्रेस त्रुटि को दुरुस्त करवाना चाहते हैं।

प्रतिवादीगण 2ता11 वादीगण की खातेदारी भूमि के पड़ोसी खातेदार हैं।

प्रतिवादीगण बावजूद नोटिस तामील नहीं आने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

जवाब स्टेट दि. 18.6.21 को प्राप्त हुआ। जवाब स्टेट में वादीगण की खातेदारी भूमि के अनुरूप नक्शाट्रेस में दर्शित नहीं होने तथा प्रतिवादीगण का नक्शाट्रेस उनकी खातेदारी से अधिक दर्शित होना स्वीकार किया गया।

वादी पक्ष द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता MP जैमन द्वारा जिरह की गयी।

वाद के तथ्यों व जवाब स्टेट से स्पष्ट है कि वादीगण का रकबा नक्शा शीट में 6.83 है. के बजाय 6.38 है. बनता है जबकि प्रतिवादीगण का रकबा 6.96 है. खातेदारी के विपरीत नक्शा शीट में 7.41 है. बेहतर यही है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के नक्शाट्रेस की तरमीम उभय पक्ष की खातेदारी रकबे के अनुरूप की जावे। अतः तहसीलदार बहरावण्डा को आदेशित किया जाता है।

जवाब स्टेट निर्णय का भाग रहेगा।

मुताबिक आदेश तकरीर व डिग्री जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो।

(रणजीत सिंह)
28.2.22